

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक(कार्मिक)
गोरखपुर।

सं०:- का/254/12/मुकानि/मुख्या/VIII

दिनांक 26.08.2019

मण्डल रेल प्रबन्धक /कार्मिक/लखनऊ/वाराणसी/इज्जतनगर मण्डल
अतिरिक्त मंडलोत्तर इकाई, गोरखपुर
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक/कार्मिक,
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:- मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरिक्षक लेवल-7 में 20 प्रतिशत कोटे की
रिक्तियों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-ई(एनजी)।/2005/पी.एम.।/20
दिनांक 17.06.2005.

संक्षम अधिकारी के आदेशानुसार अधिसूचना जारी करने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
जिसके अनुपालन में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय/मण्डल/कारखाना/यूनिटों में मुख्य कर्मचारी एवं
कल्याण निरीक्षक, सातवें वेतन आयोग में लेवल-7 के 20 प्रतिशत एलडीसीई कोटा के 06 रिक्त
पद (सामान्य-05, अजा-01, अजजा-00) को निर्धारित चयन किया जाना है। जिसमें केवल
कर्मचारी कल्याण निरिक्षक जो लेवल-6 में 02 वर्ष की सेवा नोटिफिकेशन की तिथि को पूर्ण कर
चुके हो तथा स्नातक भी हो वे ही चयन में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।

1. कुल सेवा की गणना/पात्रता नोटिफिकेशन तिथि से की जाएगी।
2. परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं आवेदन प्रारूप संलग्न है। राजभाषा के 10 % प्रश्न पूछे जायेंगे जो अनिवार्य नहीं होंगे।
3. परीक्षा का आयोजन मुख्यालय स्तर पर होना है।
4. चयन पूर्णतः मेरिट पर आधारित होगा, जो कि लिखित परीक्षा एवं सेवा रिकार्ड के आधार पर होगा।
5. अजा/अजजा वर्ग के कर्मचारियों को सामान्य रियायत के अध्याधीन औसतन एग्रीगेट 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वालों को पैन्ल में शामिल करने हेतु विचार का पात्र नहीं माना जाएगा। इसके अलावा केवल लिखित परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का मुल्यांकन किया जायेगा।
7. कुल रिक्तियों के संख्या के बराबर मेरिट में सफल अभ्यर्थियों का पैन्ल बनाया जाएगा। यद्यपि सफल अभ्यर्थियों को उनके संबंधित विभाग/यूनिटों में तैनाती की तरजीह दी जाएगी, फिर भी यदि सफल अभ्यर्थियों की संख्या संबंधित विभाग/ यूनिट में पहले से आंकी गई रिक्तियों की संख्या के अनुरूप नहीं है, तो उन्हें अन्यत्र तैनात करने हेतु कोई रोक नहीं होगी।
8. उत्तीर्ण सुयोग्य अभ्यर्थियों का 21 कार्य दिवस का तैनाती पूर्व प्रशिक्षण कार्मिक प्रशिक्षण स्कूल में होगा। ऐसे सभी अभ्यर्थियों का किसी कार्यकारी पद पर तैनात करने से पहले प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करना होगा जिसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर एक निर्धारित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
9. सभी इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपनी शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों को विधिवत सत्यापित प्रति संलग्न करके नियत तिथि को या उससे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करें।
10. RBE 196/2018 के एवं महाप्रबन्धक कार्मिक पू.उ.रे. गोरखपुर के पत्र संख्या का/254/चयन/प्रश्न बैंक/निर्देश/4/80 दिनांक 20.03.2019 के अनुसार लिखित परीक्षा 100 अंको के वस्तुनिष्ठ प्रश्न

रहेगे जो 90 मिनट समय अवधि का होगा। गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक रहेगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंको में से 1/3 अंको की कटौती कर ली जायेगी। उपरोक्त चयन की कोई अनुपस्थिती लिखित परीक्षा नहीं होगी। उत्तर हेतु एक ही प्रकार के काले अथवा नीले स्याही वाले पेन का प्रयोग किया जाये। उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार का पहचान चिन्ह (जैसे हाइलाइटर, ऊ इत्यादी) नहीं लगाया जाय।

11. प्रश्न पुस्तिका में उत्तर में किसी भी प्रकार की कटिंग व ओवर राइटिंग नहीं होगी। कटिंग एवं ओवर राइटिंग किये गये प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
12. लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। परीक्षार्थी दोनों में से किसी एक भाषा में उत्तर लिख सकते हैं। परन्तु ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर अंग्रेजी भाषा में लिखना अपेक्षित है, इनका उत्तर अंग्रेजी में लिखा जाना होगा।
13. अनुपस्थिति लिखित परीक्षा का इस चयन में प्रावधान नहीं है। अतः कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा नहीं होगी।
14. जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण/स्वीकृत अवकाश या अन्य यूनिटों आदि में स्थानान्तरण पर है, लेकिन उनकी लियन संबंधित मंडल/यूनिट में है, में संदेश वाहक के जरिए सूचना भिजवाई जाय तथा उनसे इस अधिसूचना को नोट कराया जाय। इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।
15. कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय कि इसकी पूरक परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा का कार्यक्रम/तिथि बाद में घोषित की जायेगी। सम्बन्धित लिखित परीक्षा, गोरखपुर मुख्यालय में आयोजित की जाएगी।
16. इच्छुक कर्मचारियों का संलग्न प्रोफार्मा पर विकल्प नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से दिनांक 16.09.2019 तक मण्डल कार्यालय/अतिरिक्त इकाई/कारखाना के कार्मिक कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए जिसे मण्डल कार्यालय/अतिरिक्त इकाई/कारखाना के कार्मिक कार्यालय द्वारा आवश्यक जांच के पश्चात इस कार्यालय में दिनांक 23.09.2019 तक भेजना सुनिश्चित किया जाय। आवेदन पत्र मण्डल के कार्मिक कार्यालयों एवं कारखाना, अतिरिक्त इकाईयों के प्रधान कार्मिक कार्यालय के माध्यम से आवेदन पत्र महाप्रबन्धक/कार्मिक कार्यालय, गोरखपुर प्रेषित किया जाएगा।

संलग्नक:- 1. आवेदन पत्र का प्रारूप।
2. पाठ्यक्रम

(विवेक कुमार मिश्रा)
वकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप निदेशक, स्थापना (अराज.), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
2. महामंत्री/नरमू, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
3. महामंत्री/एस.टी./एस.सी. एसोसिएशन, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
4. महामंत्री/ओबीसी एसोसिएशन, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
5. सकाधि/मुख्या- कृपया उपरोक्त अधिसूचना को रेलवे के वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
6. सभी मुकार्याधी/कार्याधी, प्रमुकाधि कार्यालय, गोरखपुर।
7. प्रधानाचार्य/कार्मिक प्रशिक्षण स्कूल, जोधपुर।
8. अन्य प्रति।

स/र

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

74

अनलग्नक II

रेल मंत्रालय के 17.6.2005 के पत्र सं. ई (एन जी) I-2005/पी एम 1/20 का अनुबंध

कामिक निरीक्षक ग्रेड-I के पद के लिए पाठ्यक्रम

1. लेखन कौशल
2. आर एल टी पुरस्कार एवं रोजगार घंटे विनियम
3. रेल कर्मचारियों के लिए कल्याण गतिविधियां

- (क) कर्मचारी हित निधि
- (ख) रेलों पर स्कूल नीति
- (ग) सांस्कृतिक गतिविधियां
- (घ) मनोरंजन केंद्र और क्लब
- (ङ.) हस्तशिल्प केंद्र
- (च) कैटीन
- (छ) सहकारी भंडार/संग्रहितियां
- (ज) खेलकूद गतिविधियां
- (झ) स्काउट एवं गाइड
- (ञ) अवकाश गृह

4. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

5. रेल कर्मचारियों की चिकित्सा जांच, चिकित्सा दृष्टि से विकोटिकरण और चिकित्सा दृष्टि से विकोटिकृत कर्मचारियों का समाहन

6. रेल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध ऋण एवं अप्रिम

7. जनशक्ति नियोजन

- (क) रिक्ति बैंक रजिस्टर
- (ख) बेचमार्किंग
- (ग) पदों का सृजन
- (घ) अधिसंख्य पद
- (ङ) अधिशेष कर्मचारियों की पुनर्तैनाती

...2/-

23.3.16
APC/MR

8. वदी नीति

- (क) कर्मचारी की पात्रता
- (ख) वदी आपूर्ति की आवधिकता
- (ग) वर्गीकरण में परिवर्तन की नीति

9. वेतन एवं भत्ते

10. पास नियम

11. रेल पेंशन नियम

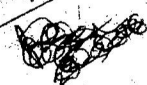
12. छुट्टी नियम

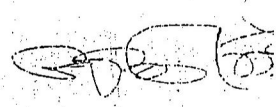
13. शिकायत निवारण तंत्र

14. ट्रेड यूनियनों की मान्यता, स्थायी वार्ता तंत्र, गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ संव्यवहार, मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों के पदधारियों को सुविधाएं

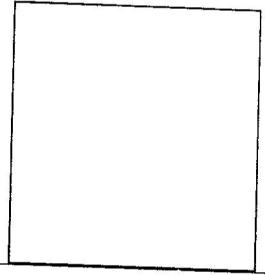
15. सेवा की सामान्य शर्तें

16. आर.ई.एल.एन.एस

233/12
APO/HR




महाप्रबन्धक/का/गोरखपुर की अधिसूचना सं० का/254/12/मुकानि/मुख्या०/VIII दिनांक के तहत सातवें वेतन आयोग के अनुसार मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक, लेवल-07 (9300-34800+ग्रेड पे 4600) पद हेतु एलडीसीई 20 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।



1.	पूरा नाम	
	हिन्दी	
	अंग्रजी	
2.	पिता का नाम	
	हिन्दी	
	अंग्रजी	
3.	वर्तमान पदनाम (लेवल)	
4.	वर्तमान कार्यस्थल मण्डल अतिरिक्त इकाई/विभाग	
5.	भविष्य निधि संख्या/प्रान नं०	
6.	जन्मतिथि	
7.	रेल सेवा में नियुक्ति तिथि	
8.	शैक्षणिक योग्यता	
	कक्षा उत्तीर्ण वर्ष	विश्वविद्यालय/संस्थान
9.	नियुक्ति तिथि	
10.	लेवल-6 (ग्रेड पे 4200) में नियुक्ति तिथि/ पदोन्नति तिथि	
11.	जाति/वर्ग	

अभ्यर्थी/कर्मचारी द्वारा अभिप्रमाणित।

कमश:—2

मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनाये/घोषणा सत्य है यदि गलत पायी गयी तो मुझे उपरोक्त चयन हेतु अवैध माना जायेगा।

दिनांक

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
कार्यालय.....
मंडल/अतिरिक्त इकाई
मोबाइल संख्या.....

....

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी/कर्मचारी द्वारा आवेदन में दी गयी सेवा विवरण एवं घोषणा जाँचा गया एवं सही पाया गया है।

कार्मिक अधिकारी का हस्ताक्षर
कार्यालय मुहर
दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..... पद.....
..... स्टेशन.....मेरे अधीन कार्यरत है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गयी प्रविष्टि सम्बन्धित कार्मिक अधिकारी द्वारा जाँचा गया और सही पाया गया है।

अभ्यर्थी उपरोक्त चयन हेतु पात्र है।

नियंत्रक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी का
हस्ताक्षर
कार्यालय मुहर
दिनांक